

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक-5 एवं एकलव्य भवन

उपायुक्त (प्रशिक्षण एवं क्वालिटी) कार्यालय-मुख्य भवन ब्लॉक-6, प्रथम तल,

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन -0141-2706069

rajssaquality@gmail.com

क्रमांक-रा.स्कूल.शि.प/जय/गुण.शिक्षा/कला उत्सव/2025-26/16281786

दिनांक 3/7/2025

कला उत्सव दिशा-निर्देश

सत्र 2025-26

कला उत्सव स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में आयोजित किये जाने वाला प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालय, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को भारतीय कला एवं सांस्कृतिक विविधता को समझने एवं उसे उत्सव के रूप में मनाना है। इस उत्सव में प्रतिभागी ना केवल अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं के विभिन्न कला स्वरूपों को प्रदर्शित करते हैं बल्कि इस अनुभव का आनन्द उठाते हुए "एक भारत श्रेष्ठ भारत" की अवधारणा में भी योगदान देते हैं।

उद्देश्य -

- विद्यार्थियों को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए समुचित अवसर प्रदान करना।
- कला के माध्यम से विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक एवं रचनात्मक क्षमता का विकास करना।
- विद्यालयों के साथ कलाकारों, शिल्पकारों एवं सांस्कृतिक संस्थानों को जोड़ना।
- भारत की सांस्कृतिक विरासत को विद्यार्थियों में प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।

कला उत्सव गतिविधि को आयोजित करने के लिये निम्न निर्देशों की पालना की जाए :-

- कला उत्सव 2025-26 की विषय वस्तु का मुख्य केन्द्र "विकसित भारत - वर्ष 2047 के भारत की परिकल्पना" है।
- कला उत्सव 2025 में कला विधाओं की श्रेणियां पुनर्गठित की गई है और प्रतियोगिताओं की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 की गई है।
- गायन, वादन, नृत्य और दृश्य कला में समूह और एकल प्रतियोगिताएँ होंगी तथा नाटक और कहानी वाचन में समूह प्रतियोगिताएँ होंगी।
- कला उत्सव 2025 में 6 व्यापक कला विधाओं के अन्तर्गत 12 प्रमुख श्रेणियों में प्रविष्टियां आमंत्रित की जायेगी।
- जिला स्तरीय कला उत्सव आयोजन हेतु सहायक परियोजना समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी को नोडल प्रभारी नियुक्त किया जाए साथ ही जिला एमआईएस इंजार्च को तकनीकी समन्वयक नियुक्त किया जाए।
- यह गतिविधि राज्य के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु विद्यालय, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जायेगी। (राजकीय विद्यालय - स्कूल शिक्षा, पंचायती राज, संस्कृत शिक्षा, जन जातिय श्रेत्रीय विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रबन्धन के समस्त विद्यालय)

- समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों और दिव्यांग विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी हो।
- एक विद्यार्थी केवल एक ही श्रेणी में भाग ले सकता है।
- सभी विद्यार्थियों को भाग लेने का अवसर देने के लिए **राष्ट्रीय कला उत्सव के गत वर्षों के राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान) को राष्ट्रीय कला उत्सव 2025 में भाग लेने की अनुमति नहीं है।** (विद्यालय, जिला एवं राज्य स्तरीय प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विजेताओं द्वारा भाग लिया जा सकता है।
- कला उत्सव 2025 में **गत 2 वर्षों के राष्ट्रीय स्तरीय विजेताओं के विद्यालय से सम्बन्धित कलारूप में किसी भी विद्यार्थी को भाग लेने की अनुमति नहीं है।** यदि किसी विद्यालय से 2023 या 2024 में किसी विद्यार्थी ने राष्ट्रीय कला उत्सव में पुरस्कार प्राप्त किया था, तो उसके विद्यार्थी 2025 में उस कला रूप में भाग नहीं ले सकेंगे।
- विद्यार्थियों की प्रतिभागिता के लिए उनके अभिभावकों की अनुमति विद्यालय द्वारा ली जाए।
- सभी नोडल अधिकारी जिला एवं राज्य स्तरीय उत्सव में पुरस्कार राशि सीधे विजेताओं के खातों में स्थानांतरित की जाए।
- जिला एवं राज्य स्तरीय कला उत्सव में प्रत्येक टीम के साथ आने वाले एस्कॉर्ट शिक्षकों में अनिवार्य रूप से एक महिला एवं एक पुरुष शिक्षक होंगे। यदि किसी टीम में 20 से अधिक विद्यार्थी हैं तो एक अतिरिक्त एस्कॉर्ट शिक्षक (महिला/पुरुष) टीम के साथ जा सकता है। टीम में शामिल प्रत्येक दिव्यांग विद्यार्थी के साथ भी एक एस्कॉर्ट जा सकता है।
- नोडल अधिकारियों द्वारा छात्रों और छात्राओं की समान भागीदारी सुनिश्चित की जानी है।
- कक्षा 9 से 12 के प्रमाणित विद्यार्थी कलाकारों की सहभागिता ही मान्य होगी। किसी भी प्रकार के व्यावसायिक, पेशवर चित्रकारों अथवा कलाकारों की भागीदारी की अनुमति नहीं है।

प्रत्येक कला क्षेत्र की प्रस्तुति में निम्नलिखित कलारूप सम्मिलित किये गये हैं –

क्र.स	श्रेणी	प्रविष्टि	उप-श्रेणी (केवल एक उप-श्रेणी चिन्हित की जाएगी)
1.	संगीत (गायन)	एकल	शास्त्रीय/उपशास्त्रीय
2.	संगीत (गायन)	समूह (अधिकतम 4 विद्यार्थी)	लोकगीत/भक्तिगीत/देशभक्ति गीत/सुगम संगीत
3.	संगीत (वादन) तन्त्री/सुषिर (स्वर वाद्य)	एकल	शास्त्रीय/उपशास्त्रीय
4.	संगीत (वादन) ताल वाद्य	एकल	शास्त्रीय/उपशास्त्रीय
5.	संगीत (वादन)	समूह (अधिकतम 4 विद्यार्थी)	वाद्यवृंद (लोक/शास्त्रीय)
6.	नृत्य	एकल	शास्त्रीय
7.	नृत्य	समूह (अधिकतम 4 विद्यार्थी)	क्षेत्रीय (लोक/जनजातीय) गैर-फिल्मी समकालीन समूह नृत्य
8.	नाटक	समूह (अधिकतम 4 विद्यार्थी)	लघु नाटिका/रोलप्ले/मिमिक्री/माइम

क्र.स	श्रेणी	प्रविष्टि	उप-श्रेणी (केवल एक उप-श्रेणी चिह्नित की जाएगी)
9.	दृश्य कला	एकल	द्विआयामी (चित्रकला/चित्रकारी/मुद्रण/व्यंग्यचित्र)
10.	दृश्य कला	एकल	त्रिआयामी (मूर्तिकला)
11.	दृश्य कला	समूह (अधिकतम 2 विद्यार्थी)	द्विआयामी/त्रिआयामी (स्वदेशी खिलौने और खेल/स्थानीय शिल्प)
12.	पारंपरिक कहानी वाचन	समूह (2 विद्यार्थी)	प्रतिभागी कहानी वाचन में किसी एक या एक से अधिक कला स्वरूपों (नृत्य, संगीत, दृश्यकला या नाटक) का प्रयोग कर सकते हैं।

- इस प्रकार प्रत्येक टीम सभी 12 प्रतियोगिता श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में निर्दिष्ट किसी भी उपश्रेणी में केवल एक प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकेगी।
- समूह प्रविष्टियों के लिए विद्यार्थियों की संख्या दिये गये नियमों के अनुसार अलग-अलग होगी। संगीत (गायन), संगीत (वादन), नृत्य तथा नाटक की समूह स्पर्धाओं में 4 और दृश्य कला तथा पारंपरिक कहानी वाचन में दो (2) प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं।
- सभी नोडल अधिकारी प्रतियोगिताओं के पूरा होने के तुरंत बाद प्रत्येक श्रेणी में विद्यार्थियों का डाटा निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
- **प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए उनकी अपार संख्या (APAAR ID) अनिवार्य है। अतः अपेक्षित है कि सभी विद्यार्थी अपनी अपार संख्या समय से पूर्व प्राप्त कर ले।**
- **प्रविष्टियाँ जमा करने के लिए प्रारूप** – राज्य एवं जिला स्तरीय उत्सव में भागीदारी के लिए प्रत्येक प्रविष्टि को नोडल अधिकारी द्वारा विधिवत भरे हुए और सत्यापित प्रारूप (परिशिष्ट 1-2) के साथ संलग्न किया जाना है।
- **वीडियो** – प्रत्येक श्रेणी में राज्य एवं जिला स्तर के प्रदर्शन का वीडियो प्रस्तुत किया जाना है। दृश्य कला श्रेणी (द्विआयामी, त्रिआयामी, स्थानीय शिल्प एवं स्वदेशी खिलौने और खेल) में वीडियो के साथ कलाकृति के चित्र भी उपलब्ध कराये जाने हैं। कार्यक्रम, तिथि एवं स्थान के नाम के साथ कला उत्सव का बैकड्राप अनिवार्य है। वीडियो की अवधि 4 मिनट्स से अधिक नहीं होगी।
- **पाठ्य सारांश** – पाठ्य सारांश के अपलोड हेतु एक गूगल फार्म की लिंक नोडल अधिकारियों के साथ साझा की जायेगी। इसे प्रविष्टि के साथ अपलोड करना होगा। सारांश में चयनित कला स्वरूप, उद्भव स्थान, सम्बद्ध समूह, विशेष अवसर, वेशभूषा, सहायक उपकरण, मंच सामग्री, पर्यावरण के साथ इसका जुड़ाव, इसकी शैली, तकनीक व सामग्री के बारे में विवरण सम्मिलित होंगे। पाठ्य सारांश के साथ प्रतिभागी कलाकृति बनाते हुए या प्रस्तुती आदि करने के समय अपने छाया चित्र (JPEG प्रारूप में अधिकतम 5 छायाचित्र) संलग्न कर सकते हैं।
- **ध्यान दे** – पाठ्य सारांश और वीडियो के लिये प्रत्येक श्रेणी में 20 अंक निर्धारित है जो अन्तिम मूल्यांकन को प्रभावित करेंगे।
- विद्यालय स्तर पर कला उत्सव गतिविधि का आयोजन 10 से 20 अगस्त 2025 के मध्य (एक या दो दिवसीय) किया जायेगा।
- जिला स्तर पर कला उत्सव गतिविधि का आयोजन दिनांक 25 अगस्त से 10 सितम्बर, 2025 के मध्य (एक या दो दिवसीय) किया जायेगा।
- जिला स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन कर दिनांक 15 सितम्बर, 2025 तक राज्य स्तर पर आवश्यक रूप से भिजवाया जाये।

- राज्य स्तर पर कला उत्सव आयोजन स्थल एवं दिनांक की सूचना पृथक से प्रेषित कर दी जायेगी।
- राष्ट्रीय स्तर पर कला उत्सव का आयोजन एनसीईआरटी, नई दिल्ली के निर्देशानुसार किया जायेगा।

जिला स्तरीय वित्तीय प्रावधान:-

क.स.	विवरण	कुल राशि (रूपयों में)
1.	मेडल/ट्रॉफी एवं प्रमाण-पत्र – प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को (सभी 12 श्रेणियों में) अन्य समस्त प्रतिभागी विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रेषित किये जाये।	7000
2	प्रचार – प्रसार, बैनर	2000
3	कन्टिजेन्सी, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एवं अभिलेख संधारण	3000
4	बैठक व्यवस्था माईक, मंच एवं टेन्ट इत्यादि	7000
5	जलपान एवं मध्यान भोजन	12000
योग		31000

उक्त वित्तीय प्रावधान में सभी मदों में प्रस्तावित राशि में आवश्यकतानुसार समिति द्वारा निर्णय लेकर सूक्ष्म परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर स्थानीय स्तर पर भाभाशाहों का सहयोग लिया जाए।

कला उत्सव हेतु राशि की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है –

- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जाए।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय राशि को PRABANDH PORTAL (<https://samagrashiksha.in>) पर तत्काल बुक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- राशि का उपयोग योजना के दिशा निर्देश, स्कूल शिक्षा विभाग, भारत सरकार की गाइड लाईन एवं लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णायक मण्डल

1. **विद्यालय स्तर पर** होने वाली प्रतियोगिताओं में निर्णायक मण्डल में – संस्था प्रधान के अतिरिक्त एक महिला शिक्षक एवं एस.डी.एम.सी. की सहमति से एक कला विशेषज्ञ को शामिल किया जाए। महिला शिक्षिका ना होने पर उस क्षेत्र में निवास करने वाली सेवानिवृत्त महिला शिक्षिका अथवा किसी गैर सरकारी संगठन की महिला प्रतिनिधि को शामिल किया जा सकता है।
2. **जिला स्तर पर** मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा की अध्यक्षता में निर्णायक मण्डल का गठन होगा – जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.), प्रधानाचार्य डाइट एवं कला क्षेत्र के विशेषज्ञों (प्रत्येक कला का अलग) को शामिल किया जाए। (नोट – जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा यदि कोई संगीत/कला संस्था स्थापित है तो वहाँ कार्यरत विशेषज्ञों को निर्णायक मण्डल में शामिल करने हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाए।)
3. **राज्य स्तर पर निर्णायक मण्डल निम्नानुसार रहेगा :-**

राज्य परियोजना निदेशक रास्कूलशिप/मनोनीत प्रतिनिधि	अध्यक्ष
प्रतिनिधि निदेशालय बीकानेर	सदस्य
प्रतिनिधि, RSCERT उदयपुर	सदस्य
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, (सम्बन्धित जिला)	सदस्य
जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि. (सम्बन्धित जिला)	सदस्य
राज्य स्तरीय कला विशेषज्ञ (संगीत संस्थान का प्रतिनिधि) (प्रत्येक कला श्रेणी के अनुसार)	सदस्य

प्रतियोगिता आयोजन हेतु विशेष निर्देश

1. संगीत (गायन)

संगीत गायन की प्रतियोगिता निम्न श्रेणियों में आयोजित की जाएगी -

- संगीत (गायन) एकल - शास्त्रीय/उपशास्त्रीय
- संगीत (गायन) समूह - लोक/भक्ति/देशभक्ति/सुगम संगीत (अधिकतम 4 प्रतिभागी)

सामान्य सूचनाएँ

- ❖ प्रस्तुति की अवधि 4-6 मिनट की होगी।
- ❖ वेशभूषा और मंच सज्जा प्रस्तुति से संबंधित होनी चाहिए।
- ❖ व्यावसायिक संगीत जगत के गीतों की अनुमति नहीं है।
- ❖ जिला एवं राज्य प्रतियोगिता के आयोजक तबला, ढोल, नाल, हारमोनियम, वायलिन और मृदंगम हेतु संगतकार उपलब्ध कराएँगे। कृपया नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र (परिशिष्ट III) के साथ अपनी आवश्यकता की अग्रिम सूचना पहले ही जमा कर दें।

मूल्यांकन प्रपत्र- संगीत (गायन) - (सभी श्रेणियाँ)

सुर	लय	शैली में प्रामाणिकता	प्रस्तुति तकनीक	लेखन/वीडियो	कुल अंक
20	20	20	20	20	100

2. संगीत (वादन)

संगीत वादन की प्रतियोगिता निम्न श्रेणियों में आयोजित की जाएगी -

1. संगीत (वादन) एकल तन्त्री/सुषिर (स्वर वाद्य) - शास्त्रीय/उपशास्त्रीय
2. संगीत (वादन) एकल अवनद्ध (ताल वाद्य) - शास्त्रीय/उपशास्त्रीय
3. संगीत (वादन) समूह - वाद्यवृंद (ऑर्केस्ट्रा) लोक/शास्त्रीय (अधिकतम 4 प्रतिभागी)

सामान्य सूचनाएँ

- ❖ अवनद्ध वाद्य इसमें भारतीय संगीत वाद्ययंत्र सम्मिलित हैं, जैसे - मृदंग, एडक्का, तबला, ढोल, खोल, पखावज इत्यादि।
- ❖ स्वर वाद्य - वाद्ययंत्रों में वायलिन, सितार, बाँसुरी, सरोद, वीणा, शहनाई, संतूर, आदि जैसे भारतीय सुषिर वाद्ययंत्र सम्मिलित हैं।
- ❖ प्रस्तुति की अवधि 4-6 मिनट की होगी।
- ❖ वेशभूषा और मंच सज्जा प्रस्तुति से संबंधित होनी चाहिए।
- ❖ केवल स्वदेशी संगीत वाद्ययंत्रों की अनुमति है।
- ❖ इलेक्ट्रॉनिक या प्रोग्राम किए गए संगीत वाद्ययंत्र की अनुमति नहीं होगी।
- ❖ राज्य एवं जिला स्तरीय प्रतिभागियों के आयोजक तबला, ढोल, हारमोनियम, मृदंग जैसे संगतकार उपलब्ध कराएँगे। कृपया नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र (परिशिष्ट III) के साथ अपनी आवश्यकता की अग्रिम सूचना पहले ही जमा कर दें।

मूल्यांकन प्रपत्र- संगीत (वादन)

सुर	लय	शैली में प्रामाणिकता	प्रस्तुति तकनीक	लेखन/वीडियो	कुल अंक
20	20	20	20	20	100

3. नृत्य

नृत्य की प्रतियोगिता निम्न श्रेणियों में आयोजित की जाएगी -

1. नृत्य (एकल) - शास्त्रीय
2. नृत्य (समूह) - क्षेत्रीय (लोक/जनजाति)/समकालीन समूह नृत्य (गैर-फिल्म) (अधिकतम 4 प्रतिभागी)

सामान्य सूचनाएँ

- ❖ प्रस्तुति की अवधि 4 से 6 मिनट होगी।
- ❖ शास्त्रीय नृत्य विधाओं में भरतनाट्यम, कथक, सत्तरिया, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथकली एवं मणिपुरी सम्मिलित हैं।
- ❖ पारंपरिक लोकनृत्य किसी भी राज्य या क्षेत्र का पारंपरिक लोक होगा।
- ❖ समूह नृत्य पारंपरिक लोक स्वरूपों में हो सकते हैं।
- ❖ समसामयिक विषयगत प्रस्तुति गैर-फिल्मी संगीत पर आधारित होनी चाहिए।
- ❖ संगीत के लिए रिकॉर्ड का प्रयोग किया जा सकता है अथवा उसी टीम के संगीत के प्रतिभागियों द्वारा संगत की जा सकती है।
- ❖ वेशभूषा और मेकअप सरल, प्रामाणिक, विषयगत और प्रस्तुति से जुड़ा हुआ होना चाहिए।
- ❖ टीमों द्वारा अत्यंत सरल एवं न्यूनतम सेट एवं पोशाक आदि की व्यवस्था की जानी है।
- ❖ नोडल अधिकारी प्रतियोगिता में संगत के लिए टीम के कलाकारों को वाछनीय सहयोग प्रदान करेंगे।

मूल्यांकन प्रपत्र - नृत्य

शैली में प्रामाणिकता	विविधताओं में नवाचार	वेशभूषा	प्रस्तुति कौशल	संगीत	लेखन/वीडियो	कुल अंक
20	20	10	20	10	20	100

4. नाटक -

राज्य एवं जिला स्तरीय नाटक प्रतियोगिता में 4 विद्यार्थियों का समूह किसी एक विशिष्ट शैली में भाग ले सकता है-

1. लघु नाटिका/रोल प्ले/मिमिक्री/माइम (अधिकतम 4 विद्यार्थियों का समूह)

- ❖ समूह नाटक में अधिकतम 4 प्रतिभागी होने चाहिए। यह आधुनिक रंगमंच के किसी भी क्षेत्रीय रूप में हो सकता है, जिसमें आपके राज्य या क्षेत्र के किसी भी व्यक्तित्व, यानी प्रख्यात समाज सुधारक, कलाकार, लेखक, कवि, वैज्ञानिक, स्वतंत्रता सेनानी के जीवन की झलकियाँ सम्मिलित की जा सकती हैं।
- ❖ प्रस्तुति की अवधि 6 से 8 मिनट की होगी।
- ❖ प्रत्येक टीम को मंच सज्जा (तकनीकी सेटिंग) के लिए 5 मिनट और मंच को साफ करने के लिए 5 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे।
- ❖ प्रदर्शन किसी भी क्षेत्र की किसी भी भाषा या बोली का हो सकता है। (कृपया हिन्दी व अंग्रेजी में प्रस्तुति की व्याख्या अवश्य करें।)
- ❖ वेशभूषा, मंच-सज्जा, मंच सामग्री आदि की व्यवस्था टीमों द्वारा स्वयं की जाएगी।
- ❖ पार्श्व संगीत के लिए ट्रैक या रिकॉर्ड किए गए संगीत का उपयोग किया जा सकता है।

मूल्यांकन प्रपत्र - नाटक

विषयवस्तु	संचार कौशल/अभिव्यक्ति	मंच साज-सज्जा/डिजाइन	पोशाक और श्रंगार	समग्र प्रस्तुति	लेखन/वीडियो	कुल अंक
10	20	15	15	20	20	100

5. दृश्य कला

1. दृश्य कला एकल – द्वि-आयामी (चित्रकला/चित्रकारी/मुद्रण/व्यंग चित्र)
2. दृश्य कला एकल – त्रि-आयामी (मूर्तिकला)
3. दृश्य कला समूह – द्वि-आयामी/त्रि-आयामी (स्वदेशी खिलौने एवं खेल/स्थानीय शिल्प) (अधिकतम 2 विद्यार्थी)

सामान्य सूचनाएँ

- ❖ दृश्य कला की प्रतियोगिताएँ एक/दो दिनों तक आयोजित की जाएँगी। प्रतिभागियों से राज्य एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता के दौरान मौके पर ही अपनी कला कार्य पूरा करना अपेक्षित है। पहले बनाई गई कलाकृतियों की अनुमति नहीं
- ❖ द्विआयामी कार्य का आकार 2x3 फीट से बड़ा नहीं होगा। त्रिआयामी कार्य का आकार 2x2x2 फीट से बड़ा नहीं होगा। स्वदेशी खिलौनों और खेल के लिए खिलौनों की अधिकतम संख्या 4 ही होगी।
- ❖ सामग्री और माध्यम का चयन विद्यार्थी की पसंद के अनुसार होगा।
- ❖ दृश्य कला की उप-श्रेणियों के लिए उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियाँ पर्यावरण अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल होनी चाहिए।
- ❖ झाड़ंग बोर्ड, मिट्टी और रेत जैसी कला सामग्रियों की व्यवस्था अनुरोध पर आयोजकों द्वारा की जायेगी। कृपया नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र (परिशिष्ट-III) के साथ कला सामग्री की आवश्यकता पहले से ही बता दें।
- ❖ स्वदेशी खिलौनों में, प्रतिभागी से खिलौनों या खेलों की कार्यात्मक सटीकता, नवीनता और मूल डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा की जाती है।
- ❖ प्रतिभागियों को निर्णायक समिति के साथ बातचीत के लिए कार्यक्रम स्थल पर उपलब्ध होना चाहिए। निर्णायक समिति प्रक्रिया के दौरान प्रतिभागियों का निरीक्षण करेगी और उनके साथ बातचीत करेगी।
- ❖ दृश्य कला की सभी उप-श्रेणियों के प्रत्येक प्रतिभागी को कार्य करने हेतु 6x4 फीट की जगह उपलब्ध कराई जाएगी।

मूल्यांकन प्रपत्र-दृश्य कला

रचना एवं शैली	मौलिकता	तकनीक	प्रस्तुति/कथन	लेखन/वीडियो	कुल अंक
20	20	20	20	20	100

6. पारंपरिक कहानी वाचन

प्रतिभागी कहानी वाचन में किसी एक या एक से अधिक कला स्वरूपों (नृत्य, संगीत, दृश्यकला या नाटक) का प्रयोग कर सकते हैं। यह कहानी देश की किसी भी क्षेत्रीय कहानी वाचन परंपरा पर आधारित हो सकती है।

सामान्य जानकारी –

- पारंपरिक कहानी वाचन में प्रत्येक टीम से 2 विद्यार्थी भाग लेंगे।
- वेशभूषा, मेकअप, मंच सज्जा और संगीत प्रतिभागी की पंसद के हो सकते हैं।
- कथन 5 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए।
- प्रस्तुति किसी भी बोली अथवा भाषा में हो सकती है।

मूल्यांकन प्रपत्र – कहानी वाचन

विषय वस्तु	संचार कौशल/अभिव्यक्ति	मंच साज-सज्जा/डिजाइन	पोशाक और श्रंगार	समग्र प्रस्तुति	लेखन/वीडियो	कुल अंक
20	20	10	10	20	20	100

नोट – * कला उत्सव अन्तर्गत आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं का जिला/ब्लॉक/पंचायत/विद्यालय स्तर पर अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें जिससे कला में प्रतिभा रखने वाले अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार परिशिष्ट

(अनुपमा जोरवाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवं
आयुक्त

दिनांक 3/7/2025

क्रमांक-रा.स्कूल.शि.प/जय/गुण.शिक्षा/कला उत्सव/2025-26/16281786

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निदेशक, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. कार्यक्रम अधिकारी, कला उत्सव 2025, एनसीईआरटी नई दिल्ली।
5. निदेशक, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक, प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर।
8. जिला प्रभारी अधिकारी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
10. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
11. डाइट, प्राचार्य समस्त जिले।
12. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
13. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
14. प्रोग्रामर, रास्कूलशिप, जयपुर दिशा निर्देश को पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
15. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
16. कार्यालय प्रति।

Document certified by Anupama Jorwal
<anupamajorwal@gmail.com>.

Digitally Signed by Anupama
Jorwal

Designation : State Project
Director

Date :03-07-2025 10:51:04

कला उत्सव 2025 – दिशा निर्देश

निर्देश

- एक पंक्ति में एक ही विद्यार्थी का विवरण भरें।
- वीडियो के लिए केवल ईमेल ड्राइव लिंक का उपयोग करें। यूट्यूब या किसी अन्य प्लेटफॉर्म का लिंक रवीकार नहीं किया जाएगा।

परिशिष्ट II

अनुरक्षक संबंधी जानकारी जिले के लिए अनुरक्षक का विवरण

क्रम संख्या	अनुरक्षक का नाम	लिंग (महिला/पुरुष)	पदनाम	कार्यालय/संस्थान	संपर्क नंबर	अनुरक्षक का फोटो (JPEG/JPG 20-100 KB)
1.						
2						

दिव्यांग प्रतिभागियों के अनुरक्षक का विवरण

क्रम संख्या	अनुरक्षक का नाम	लिंग (महिला/पुरुष)	संबंधित दिव्यांग विद्यार्थी का नाम	विद्यार्थी का पूर्ण पता (पिन कोड सहित)	अनुरक्षक का संपर्क नंबर	अनुरक्षक का फोटो (JPEG/JPG 20-100 KB)
1						
2						

- लड़कों के प्रत्येक दस के समूह के साथ एक पुरुष तथा लड़कियों के प्रत्येक दस के समूह के साथ एक महिला अनुरक्षक अनिवार्य है।
- दिव्यांग विद्यार्थी के साथ जाने वाला अनुरक्षक उसी लिंग का होना चाहिए।

संगतकार सूची

क्रम संख्या	वाद्ययंत्र के लिए संगतकार	संगीत गायन	संगीत वादन	पारंपरिक कहानी वाचन
1.	तबला			
2.	नाल			
3.	हार्मोनियम			
4.	मृदंगम			

- आयोजक केवल संगीत गायन, संगीत वादन और पारंपरिक कहानी वाचन के लिए संगतकार प्रदान करेंगे।
- उपरोक्त चार वाद्ययंत्रों के अलावा किसी अन्य संगतकार की व्यवस्था नहीं की जाएगी।
- राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश/के.वी.एस/एन.वी.एस/ई.एम.आर.एस. की कोई भी टीम (विद्यार्थी और अनुसूचक) किसी भी कला रूप के लिए अपने स्वयं के टीम सदस्य को संगतकार के रूप में उपयोग कर सकती है।

दृश्य कला सामग्री सूची	
1.	मिट्टी
2.	रेत
3.	ड्राइंग बोर्ड
4.	चार्ट पेपर

- उपरोक्त चार सामग्रियों के अलावा कोई अन्य दृश्य कला सामग्री प्रदान नहीं की जाएगी।



शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एवं फेसबुक चैनल से जुड़े।



जुड़ने के लिए ऊपर दिए गए आइकॉन पर क्लिक करें।